

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खंड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 232] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 3, 1973/आश्विन 11, 1895
No. 232] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 3, 1973/ASVINA 11, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 3rd October 1973

SUBJECT.—Import policy for iron and steel items for actual users for the period April, 1973—March, 1974.

No. 163-ITC(PN)/73.—Attention is invited to the import policy for iron and steel items as contained in Appendix 41 of the Import Trade Control Policy (Red added as sub-para in Para 4 of Appendix 41 of the (Red Book—Volume I) for 1973-74:—

2. On a review of position, it has been decided that the following should be added as sub-para in para 4 of Appendix 41 of the Red Book (Volume I) for 1973-74:—

“However, as allotment of steel items within the purview of Joint Plant Committee from domestic producers for small scale units in the country is now canalised through the State Small Industries Corporations, the small scale industrial units may for such items furnish certificate from the concerned State Small Industries Corporation specifying the quantity for which firm orders have been placed by State Small Industries Corporation on domestic producers to meet the applicant's requirement in terms of the policy.”

3. Import policy for iron and steel for actual users as contained in Appendix 41 of the Import Trade Control Policy (Red Book—Volume I) for the period April, 1973—March, 1974 may be deemed to have been amended accordingly.

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports and Exports.

वारिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 1973

विषय.—अप्रैल 1973-मार्च 1974 अवधि के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं के हेतु लोहा तथा इस्पात मर्चों के सम्बन्ध में आयात नीति ।

सं० 163 आइ०टो०सी० (पी०एन०)/73.—अप्रैल 1973-मार्च 1974 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक-वा० 1) के परिशिष्ट 41 में लोहा तथा इस्पात मर्चों के सम्बन्ध में यथा निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर, यह निश्चय किया गया है कि निम्नलिखित को 1973-74 के लिए (रेड बुक-वा० 1) के परिशिष्ट 41 की कंडिका 4 में उप-कंडिका के रूप में जोड़ा जाना चाहिए :—

“लेकिन, चूंकि देश के लघु पैमाने के एककों के लिए घरेलू उत्पादकों की संयुक्त प्लांट समिति के सीमा के अन्तर्गत आने वाली लोहा तथा इस्पात मर्चों का आबंटन अब राज्य लघु उद्योग निगमों के माध्यम से सारणीबद्ध है, लघु पैमाने उद्योगों के एकक ऐसी मर्चों के लिए संबद्ध राज्य लघु उद्योग निगम पर एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें और उस मात्रा का उल्लेख करें जिसके लिए राज्य लघु उद्योग निगम द्वारा घरेलू उत्पादकों को नीति की शर्तों के अनुसार आवेदक की जरूरत को पूरा करने के लिए पक्के आवेदक दिए गए हैं ।”

3. अप्रैल 1973-मार्च 1974 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक-वा० 1) के परिशिष्ट 41 में वास्तविक उपयोक्ताओं के लिए लोहा तथा इस्पात से सम्बन्धित यथा निहित आयात नीति को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाए ।

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।